संख्या-15/2026/3607/22-2-2023-17(1086)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 09 जनवरी, 2026*

विषय:- जिला कारागार, झाँसी में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी श्रीमती बब्ली पत्नी बसन्त चौरसिया, निवासी जनपद-जबलपुर राज्य-म0प्र0 की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, कारागार मुख्यालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या-27511/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 04.08.2023, दिनांक 04.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, झाँसी में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी श्रीमती बब्ली पत्नी बसन्त चौरसिया, खितौरा बाजार, थाना-सिहोरा, जनपद-जबलपुर राज्य-म0प्र0 का निवासिनी है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 05.08.2007 को 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 02 बच्चों का अपहरण करके 50 लाख रूपये मांगने की घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-141/2007 में भा0द0वि0 की धारा-364ए, 120बी/364ए के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०), झाँसी के दण्डादेश दिनांक 14.01.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 16.04.2018 द्वारा सजा को यथावत रखा गया है। महिला बन्दी की 40 वर्ष की आयु, महिला बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष अपरिहार 09 वर्ष 00 माह 14 दिन की भोगी गयी सजा तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, झाँसी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, झाँसी में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी श्रीमती बब्ली (बन्दी संख्या-27/2015) पत्नी बसन्त चौरसिया, निवासी जनपद-जबलपुर राज्य-म0प्र0 की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-15/2026/3607(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर राज्य-म0प्र0।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, झाँसी।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in